

समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर।

परिवाद संख्या- 50/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

----- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रनियां,
(द.वि.वि.नि.लि.), कानपुर देहात।

----- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा
इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 21.10.2021 को अधिशाषी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड, रनियां, कानपुर देहात (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरुद्ध अपने विद्युत
कनेक्शन खाता संख्या 781726781348 के सम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम
के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूल्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

- (a) विद्युत बिलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन
किया जाये।
- (b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी बिलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा
6.5 (c) के अनुसार किया जाय।
- (c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को
माफ करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय।
- (e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे।

इण्डस टावर लि. सरवनखेड़ा, कानपुर देहात का विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781726781348 स्वीकृत भार
22.222 KW का Previous Arrear और Previous Surcharge ₹. 7,90,532/- था।

आगे जारी है।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 5/1 ता 5/5 एवं संलग्नक का.सं. 5/6 ता 5/7) दाखिल किया गया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं है। धारा 2 के कथन असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट से जारी फर्म/परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है तथा इस आधार पर ही परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विधिक प्रावधानों से सम्बन्धित हैं जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 4 के कथन में यह स्वीकार है कि परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781726781348 विपक्षी/प्रतिवादी से प्राप्त किया था। यह कनेक्शन वाणिज्यिक विधा के श्रेणी में आता है। जिसका स्वीकृत भार 22.22 के.वी.ए. है। धारा 5 के कथन जिस प्रकार से लिखे गये हैं असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को बिल माह दर माह के सही मीटर की रीडिंग के आधार पर जारी किये जा रहे थे व हैं। धारा 6 के कथन जिस प्रकार लिखे गये हैं अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा माह दर माह के बिल का भुगतान न करने के कारण उसके ऊपर विद्युत बकाया धनराशि बढ़ जाती है तथा बकाया धनराशि पर लेट पेमेन्ट सरचार्ज उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाता है। परिवादी के द्वारा माह अप्रैल 2019 से पूर्व में भुगतान किये गये बिल की कोई रसीद की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि परिवादी के द्वारा यदि विद्युत का उपभोग स्वयं नहीं किया जाता है अथवा बकाये के आधार पर विच्छेदित कनेक्शन पर विद्युत बकाये का भुगतान न करने के कारण विद्युत का उपभोग करने में असमर्थ है उस परिस्थित में भी परिवादी न्यूनतम विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। परिवादी का विद्युत कनेक्शन नवम्बर 2017 में बकाया धनराशि पर विच्छेदित किया गया था उस समय बकाया धनराशि रु. 10,54,967.62/- थी। बकाया धनराशि को दर्शित करने वाले लेजर की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक 1 है। धारा 7 के कथन विधिक है जिनके संदर्भ में कोई कथन की आवश्यकता नहीं है। धारा 8 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को माह दर माह के बिल जारी किये गये जिस बिल का भुगतान उसके द्वारा नहीं किया गया उस माह की बिल धनराशि अगले माह के बिल में मय लेट पेमेन्ट सरचार्ज के सहित जुड़कर अगले माह के बिल में दर्शित होती है। जिसके कारण परिवादी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के परन्तुक का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। धारा 9 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी की विद्युत सप्लाई 18 घन्टे अथवा उससे ज्यादा की है। जिसके कारण उसका बिल शहरी फ़िडर की सप्लाई के अनुसार बनाया जाता है। जो कि पूर्णतया सही है। धारा 10 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा मीटर के खराब होने से सम्बन्धित कोई भी शिकायत पत्र परिवादी अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। और न ही परिवादी के द्वारा कोई प्रलेख अथवा प्रतिलिपि उक्त कथन के समर्थन में परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। जिसके कारण भी परिवादी का कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी यदि अपना मीटर चेक कराना चाहता था तो उसे मीटर चेकिंग शुल्क विभाग में जमा कर मीटर की जांच कराने का अधिकार प्राप्त था। धारा 11 के कथन कुछ विधिक है तथा शेष कथन तथ्यों पर है। जो कि असत्य व अस्वीकार है। विधिक कथनों के संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। शेष कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को बिल सही मीटर के आधार पर जारी कि ये जा रहे हैं। धारा 13 के कथन आंशिक विधिक है तथा शेष कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को बिल मीटर के रीडिंग के हिसाब से जारी किये जाते हैं। किन्तु फिर भी यदि कोई बिल त्रुटि पूर्ण उपभोक्ता को लगता है तो वह अपना विवादित बिल को क्लांज 6 उ.प्र. विद्युत सप्लाई कोड 2005 के तहत सुधार हेतु मय प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर आगे जारी है।

सकता है। किन्तु फिर भी संशोधित बिल फिर गलत लगता है तो वह अन्तर्गत विरोध विवादित धनराशि को जमा कर पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग परिवादी के द्वारा कभी नहीं किया गया। तथा परिवाद सीधे माननीय फोरम में प्रस्तुत कर दिया गया। धारा 14 के कथन पूर्णतया अस्वीकार है। परिवादी को पूर्ण अधिकार अपने कथनों को प्रस्तुत करने का प्रदान किया जाता है तथा समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुये समस्त उपभोक्ताओं के लिये एक सी कार्यवाही विपक्षी के कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा की जाती है। धारा 15 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा उपरोक्त परिवाद झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो कि पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी के ऊपर बकाया धनराशि रु. 10,54,967.62/- थी। यदि परिवादी अपना विद्युत कनेक्शन पुनः चालू कराना चाहता है तो बकाया धनराशि रु. 10,54,967.62/- को मय मिनिमम चार्ज व लेट पेमेन्ट सरचार्ज के देने की जिम्मेदारी परिवादी की होगी। परिवादी का विद्युत कनेक्शन पर विद्युत सप्लाई शहरी विद्युत सप्लाई की तरह 18 घण्टे प्रदान की जाती रही है। जिसके कारण उसकी बिलिंग शरही टैरिफ के अनुसार की जा रही है। तथा उसका बिल पूर्णतया सही है। धारा 16 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा बकाया विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा तो उ. प्र. विद्युत संस्था देयो की वसूली अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत डिमाण्ड नोटिस जारी कर वसूली पत्र कलेक्टर कानपुर देहात को भेजने का प्रावधान है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाह को पूर्व में तथा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रनियां, कानपुर देहात के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

- (1) परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781726781348 विपक्षी से दिनांक 26.05.2009 को प्राप्त किया था। यह कनेक्शन वाणिज्यिक विधा के श्रेणी में आता है। जिसका स्वीकृत भार 22.22 के.वी.ए. है। परिवादी को बिल माह दर माह के सही मीटर की रीडिंग के आधार पर जारी किये जा रहे थे। परिवादी के द्वारा माह अप्रैल 2019 से पूर्व में भुगतान किये गये बिल की कोई रसीद की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। परिवादी का विद्युत कनेक्शन नवम्बर 2017 में बकाया धनराशि पर विच्छेदित किया गया था उस समय बकाया धनराशि रु. 10,54,967.62/- थी। बकाया धनराशि को दर्शित करने वाले लेजर की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्न 1 है। परिवादी की विद्युत सप्लाई 18 घन्टे अथवा उससे ज्यादा की है। जिसके कारण उसका बिल शहरी फीडर की सप्लाई के अनुसार बनाया जाता है। परिवादी के द्वारा मीटर के खराब होने से सम्बन्धित कोई भी शिकायत पत्र परिवादी अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादी यदि अपना मीटर चेक कराना चाहता था तो उसे मीटर चेकिंग शुल्क विभाग में जमा कर मीटर की जांच कराने का अधिकार प्राप्त था। परिवादी के ऊपर बकाया धनराशि रु. 10,54,967.62/- थी। यदि परिवादी अपना विद्युत कनेक्शन पुनः चालू कराना चाहता है तो बकाया धनराशि रु. 10,54,967.62/- को मय मिनिमम चार्ज व लेट पेमेन्ट सरचार्ज के देने की जिम्मेदारी परिवादी की होगी।

आगे जारी है।

परिवादी का विद्युत कनेक्शन पर विद्युत सप्लाई शहरी विद्युत सप्लाई की तरह 18 घण्टे प्रदान की जाती रही है। जिसके कारण उसकी विलिंग शरही टैरिफ के अनुसार की जा रही है।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 5/1 ता 5/6) एवं उपभोक्ता के पी. डी. फाईनल बिल पत्रांक सं. 14126/वि.वि.खं./रनियां/का.दे. दिनांक 28.12.2022 (का. सं. 9/1 ता 9/2) दिनांक 28.12.2022 को दाखिल किया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी के अधिकृत अधिवक्ता को जवाबदावा एवं पी.डी. फाईनल बिल (कार्यालय ज्ञापन) दिनांक 28.12.2022 को WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया था इसकी पुष्टि हेतु फोरम द्वारा भी परिवादी को दिनांक 28.12.2022 को E-Mail के माध्यम से अवगत कराया गया। पिछली नियत तिथि दिनांक 30.12.2022 & 07.01.2023 को परिवादी के विद्वान अधिवक्ता न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही बिल के सम्बंध में आपत्ति सम्बंधी सूचना उपलब्ध करायी गयी। इसलिये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्षों के आधार पर परिवाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद निस्तारित किया जाता है और परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिये गये पी.डी. फाईनल बिल पर कोई आपत्ति न दिये जाने के कारण दिये गये पी. डी. फाईनल बिल को जमा करने की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।



(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०



(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांक:- 12/01/2023

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।



(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०



(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांक:- 12/01/2023

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति